भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2808
दिनांक 25 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी अस्पतालों में शौचालयों की वैज्ञानिक तरीके से सफाई

2808 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यह देखते हुए कि जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने अपने अस्पतालों के लिए वैज्ञानिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर सरकारी अस्पतालों, विशेषकर सामान्य वार्डों में शौचालयों की वैज्ञानिक तरीके से नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह देखते हुए कि विशेषकर कुछ राज्य सरकारों ने अपने बिस्तरों के लिए अलग-अलग रंग कोड चुने हैं, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर सरकारी अस्पतालों में बिस्तर की चादरों और कंबलों की नियमित रूप से सफाई करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार कैदियों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): कायाकल्प प्रोत्साहन योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। यह पहल देश भर में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के लिए विस्तृत मानक और मानदंड निर्धारित करती है। कायाकल्प का अस्पताल के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा पर अभिकेंद्रित है, जो वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके वार्डों और शौचालय सुविधा स्थलों की सफाई सुनिश्चित करता है।

इन दिशा-निर्देशों में शौचालयों के रखरखाव, सीवेज सिस्टम, सफाई के लिए मानक सामग्री और तरीकों का उपयोग, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण सहित सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है।

कायाकल्प पहल दैनिक बिस्तर की चादर/लिनन बदलने, प्रत्येक बिस्तर पर कम से कम पाँच सेट चादर/लिनन रखने और ऑटोक्लेविंग और कीटाणुशोधन के माध्यम से बिस्तर की चादरों और ऊनी कंबलों की उचित हैंडलिंग और स्टरलाइज़ेशन सुनिश्चित करके स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण को भी बढ़ावा देती है। यह लिनन

की छंटाई, संग्रह, परिवहन, धुलाई और भंडारण पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करता है। विस्तृत कायाकल्प दिशा-निर्देश यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर सार्वजनिक डोमेन में निम्नानुसार उपलब्ध हैं:

https://qps.nhsrcindia.org/sites/default/files/2024-07/Kayakalp%202024%20Guidebook.pdf

इसके अलावा, जिला अस्पताल से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप-केंद्र (एएएम-एससी) स्तर तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के प्रत्येक स्तर के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) विकसित किए गए हैं। एनक्यूएएस वार्डों और शौचालयों की सफाई मूल्यांकन करता है और सफाई के वैज्ञानिक तरीकों जैसे अंदर से बाहर की ओर एक ओर से (एक दिशा में) पोछा लगाना, सफाई समाधान तैयार करने पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, डिटर्जेंट समाधान के साथ रोगी परिचर्या क्षेत्र की सफाई करना आदि को शामिल करता है ।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) पर्याप्त चादरें/लिनन की उपलब्धता, नियमित बदलाव और गंदे और संक्रमित चादरों/लिनन की उचित हैंडलिंग सुनिश्चित करते हैं। स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, कुछ राज्यों ने दैनिक बदलाव के लिए रंग-कोडित चादरें शुरू की हैं। देश भर में अपनाई गई ये पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए समय-समय पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। विस्तृत एनक्यूएएस दिशानिर्देश यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर सार्वजनिक डोमेन में निम्नानुसार उपलब्ध हैं:

https://qps.nhsrcindia.org/national-quality-assurance-standards/nqas-Guidelines

(ग): 'कारागार' और 'उनमें नजरबंद व्यक्ति' राज्य का विषय है। जेलों का प्रशासन और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासन कैदियों को इष्टतम चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने में सक्षम हैं। तथापि, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जेलों में उचित चिकित्सा परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न सलाह जारी की हैं।

एमएचए द्वारा व्यापक मॉडल जेल मैनुअल 2016 तैयार किया गया था और सभी राज्यों को भेजा गया था। मैनुअल में 'चिकित्सा परिचर्या' पर एक समर्पित अध्याय है, जो जेल अस्पतालों, चिकित्सा कर्मचारियों और चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता, संप्रेषण के चैनल, वृद्ध व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं, नशीली दवाओं के आदी लोगों के उपचार, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सा अधिकारियों के कर्तव्यों और जेल अस्पतालों के लिए क्लीनिक और प्रयोगशालाओं आदि पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

कैदियों आदि सहित कमजोर रोगियों का चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करना भी एनक्यूएएस ढांचे का अभिन्न अंग है।

*****